

कार्यालय

उपनिदेशक

फायर सर्विस

मेरठ/सहारनपुर

परिक्षेत्र।

पत्रांक:2023/82850/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/21304/जे0डी0

दिनांक: मई 22 2023,

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक,

M/S- IVORY COUNTY

PLOT NO-GH-01, SECTOR-115, NOIDA

DISTRICT-GAUTAMBUDDHNAGAR,

विषय:-

M/S-IVORY COUNTY, PLOT NO-GH-01, SECTOR-115, NOIDA, DISTRICT-GAUTAMBUDDHNAGAR, उ0प्र0 में प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग आवासीय भवन को ऑनलाईन निर्गत प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र में तलों की संख्या व ऊँचाई सम्बन्धी संशोधन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:

यूआईडी:2023/52850/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/21304/जे0डी0 दिनांक: 17-05-2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया है कि यूआईडी:2023/82850/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/21304/जे0डी0 दिनांक: 22-05-2023 के माध्यम से ग्रुप हाऊसिंग आवासीय भवन को ऑनलाईन निर्गत प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रारूप में भवन के (ब्लॉक-3, 11 व 12) में तलों की संख्या एवं ऊँचाई त्रुटिवश गलत अंकित हो जाने के कारण संशोधित पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

ऑनलाईन प्रोवीजनल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्नक अभिलेखों यथा मानचित्रों के अनुसार निम्नांकित प्रस्तावित ब्लॉक/टावर में तलों एवं ऊँचाई सम्बन्धी संशोधित विवरण निम्नवत है:-

क्र0स0	तलों एवं ब्लॉकों की ऊँचाई का विवरण	
	ऑन लाइन निर्गत एन0ओ0सी0 के अनुसार	संशोधन के उपरान्त
01	ब्लॉक-3 में तलों की संख्या-31 व ऊँचाई-104.00 मीटर।	ऊँचाई-102.00 मीटर
02	ब्लॉक-11 में तलों की संख्या-27 व ऊँचाई-98.40 मीटर।	तलों की संख्या-26
03	ब्लॉक-12 के स्थान पर ब्लॉक-11 एवं तलों की संख्या-26 अंकित हो गया है।	ब्लॉक-11 के स्थान पर ब्लॉक-12 एवं तलों की संख्या-25 समझा जाये।

अतः उपरोक्त भवन को ऑनलाईन निर्गत प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र में तदनुसार संशोधन समझा जाये, तथा शेष शर्तें दिनांक: 22-05-2023 को ऑनलाईन निर्गत (प्रोवीजनल) एन0ओ0सी0 के अनुसार ही अनुमन्य होगी।



(अमन शर्मा)

उपनिदेशक, फायर सर्विस,
मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र।

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/82850/GBN/GAUTAM BUDDH NAGAR/21304/JD

दिनांक: 17-05-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **Ivory County** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **PLOT NO-GH-01, SECTOR-115, NOIDA** तहसील - **DADRI** प्लाट एरिया **113529.27 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **785066.745** (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या **17** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
Block 1	30	2	98.850 mt.
Block 1A	30	2	98.850 mt.
Block 2	31	2	102 mt.
Block 3	31	2	104 mt.
Block 4	31	2	102 mt.
Block 5	30	2	98.850 mt.
Block 6	30	2	98.850 mt.
Block 7	29	2	95.70 mt.
Block 8	29	2	95.70 mt.
Block 9	26	2	98.400 mt.
Block 10	25	2	94.800 mt.
Block 11	27	2	98.40 mt.
Block 11	26	2	94.80 mt.
Community Centre Big	3	2	11.70 mt.
Community Centre	2	2	9 mt.
Commercial	2	2	9 mt.
School	2	2	8.85 mt.

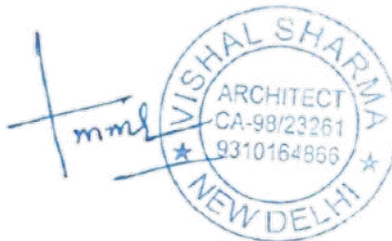
है। भवन का अधिभोग मैसर्स **Ivory County** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **Ivory County** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : In view of the recommendation reports of cfo and fso. The NOC is being issued - Recommended with condition of construction of building as per concerned bye laws and all fire fighting system must be installed as per category as mention in NBC-2016 with spl. clause (Hi rise building Annx-E) .Final NOC must be taken from fire department before start/occupy the building

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



निर्गत किये जाने का दिनांक : 22-05-2023
स्थान : LUCKNOW



हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(AMAN SHARMA)

[6F3173ACF1282848601D36130C6B4188B05EE040]

22-05-2023



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

SAFD/NORTH/B/021423/741653

संशोधन/आर.एच.एच./सुनभार/एटीएन/एनएसी/2023/172/627-630

मालिक का नाम एवं पता M/S Ambience pvt. Ltd.
OWNERS Name & Address A-39 (First floor) sec-63, Noida (U.P.)

दिनांक/DATE: 01-03-2023
वैधता/ Valid Up to: 28-02-2031

ऊँचाई की अनुमति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र(एनओसी) No Objection Certificate for Height Clearance

1) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) द्वारा प्रदत्त दायित्वों के अनुक्रम तथा सुरक्षित एवं नियमित विमान प्रचालन हेतु भारत सरकार (नागर विमानन मंत्रालय) की अधिसूचना जी. एस. आर. 751 (ई) दिनांक 30 सितम्बर, 2015, जी. एस. आर. 770 (ई) दिनांक 17 दिसंबर 2020 द्वारा संशोधित, के प्रावधानों के अंतर्गत दिया जाता है।

1. This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order GSR751 (E) dated 30th Sep.2015 amended by GSR770(E) dated 17th Dec 2020 for safe and Regular Aircraft Operations.

2) इस कार्यालय को निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रस्तावित संरचना के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है।

2. This office has no objection to the construction of the proposed structure as per the following details:

अनापत्ति प्रमाणपत्र आईडी / NOC ID	SAFD/NORTH/B/021423/741653
आवेदक का नाम / Applicant Name*	Balraj Singh
स्थल का पता / Site Address*	Plot no GH-01, Sector-115 Noida (U.P) G. B. Nagar I, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
स्थल के निर्देशांक / Site Coordinates*	28 33 57.17N 77 24 05.79E, 28 34 05.43N 77 24 06.21E, 28 34 04.73N 77 24 07.77E, 28 34 07.61N 77 24 09.42E, 28 34 03.66N 77 24 16.08E, 28 34 05.54N 77 24 16.61E, 28 34 02.41N 77 24 20.17E, 28 34 04.72N 77 24 21.00E, 28 34 03.66N 77 24 23.81E, 28 33 57.82N 77 24 23.97E
स्थल की ऊँचाई एएमएसएल मीटर में (औसतन समुद्र तल से ऊपर), (जैसा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया) / Site Elevation in mtrs AMSL as submitted by Applicant*	199.65 M
अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई एएमएसएल मीटर में (औसतन समुद्र तल से ऊपर) / Permissible Top Elevation in mtrs Above Mean Sea Level(AMSL)	334.65 M



क्षेत्रीय मुख्यालय उत्तरी क्षेत्र, परिचालन कार्यालय परिसर रंगपुरी, नई दिल्ली - 110037 दूरभाष संख्या - 91-11-25653566
Regional headquarter Northern Region, Operational Offices Complex Rangpuri, New Delhi-110 037 Tel: 91-11-25653566

" हिंदी पत्रों का स्वागत है। "



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

SAFD/NORTH/B/021423/741653

* जैसा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया / As provided by applicant *

3) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन है: -

3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

क) आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल की ऊँचाई तथा निर्देशांक को, प्रस्तावित संरचना हेतु अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई जारी करने के लिए प्रयोग किया गया है। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गए स्थल की ऊँचाई तथा निर्देशांक की यथार्थता का ना तो उत्तरदायित्व वहन करता है, और ना ही इनको प्रमाणीकृत करता है। यदि किसी भी स्तर पर यह पता चलता है कि वास्तविक विवरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण से भिन्न है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अमान्य माना जाएगा तथा क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी। सम्बंधित विमान क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा एयरक्राफ्ट नियम 1994 (भवन, वृक्षों आदि के कारण अवरोध का विध्वंस) के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

a. Permissible Top elevation has been issued on the basis of Site coordinates and Site Elevation submitted by Applicant. AAI neither owns the responsibility nor authenticates the correctness of the site coordinates & site elevation provided by the applicant. If at any stage it is established that the actual data is different, this NOC will stand null and void and action will be taken as per law. The officer in-charge of the concerned aerodrome may initiate action under the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994",

ख) अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन में आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निर्देशांक को सड़क दृश्य मानचित्र और उपग्रह मानचित्र पर अंकित किया गया है जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है। आवेदक / मालिक यह सुनिश्चित करे कि अंकित किए गए निर्देशांक उसके स्थल से मेल खाते हैं। किसी भी विसंगति के मामले में, नामित अधिकारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

b. The Site coordinates as provided by the applicant in the NOC application has been plotted on the street view map and satellite map as shown in ANNEXURE. Applicant/Owner to ensure that the plotted coordinates corresponds to his/her site. In case of any discrepancy, Designated Officer shall be requested for cancellation of the NOC.

ग) एयरपोर्ट संचालक या उनके नामित प्रतिनिधि, अनापत्ति प्रमाण पत्र नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थल (आवेदक या मालिक के साथ पूर्व समन्वय के साथ) का दौरा कर सकते हैं।

c. Airport Operator or his designated representative may visit the site (with prior coordination with applicant or owner) to ensure that NOC terms & conditions are complied with.

घ) संरचना की ऊँचाई (सुपर स्ट्रक्चर सहित) की गणना अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई (ए एम एस एल) से स्थल की ऊँचाई को घटाकर की जायेगी। अर्थात्, संरचना की अधिकतम ऊँचाई = अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई (-) स्थल की ऊँचाई।

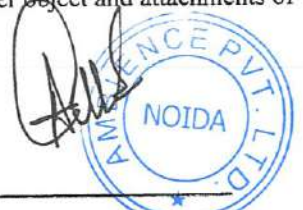
d. The Structure height (including any superstructure) shall be calculated by subtracting the Site elevation in AMSL from the Permissible Top Elevation in AMSL i.e. Maximum Structure Height = Permissible Top Elevation minus (-) Site Elevation.

च) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना, भारतीय एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, के सैक्शन 9-A तथा इसके अंतर्गत समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं तथा एयरक्राफ्ट नियम (1994 भवन, वृक्षों आदि के कारण अवरोध का विध्वंस) के अधीन है।

e. The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and any notifications issued there under from time to time including, "The Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994".

छ) कोई भी रेडियो/ टीवी एन्टीना, लाइटनिंग अरेस्टर, सीढ़िया, मुम्टी, पानी की टंकी अथवा कोई अन्य वस्तु तथा किसी भी प्रकार के संलग्नक उपस्कर पैरा 2 में उल्लेखित अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई से ऊपर नहीं जानी चाहिए।

f. No radio/TV Antenna, lightening arresters, staircase, Mumty, Overhead water tank or any other object and attachments of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation as indicated in para 2.



क्षेत्रीय मुख्यालय उत्तरी क्षेत्र, परिचालन कार्यालय परिसर रंगपुरी, नई दिल्ली - 110037 दूरभाष संख्या - 91-11-25653566

Regional headquarter Northern Region, Operational Offices Complex Rangpuri, New Delhi-110 037 Tel: 91-11-25653566

" हिंदी पत्रों का स्वागत है। "



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

SAFD/NORTH/B/021423/741653

ज) विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु के 8 KM के भीतर तेल, बिजली या किसी अन्य ईंधन का उपयोग जो उड़ान संचालन के लिए धुएं का खतरा पैदा नहीं करता है, ही मान्य है।

g. Use of oil, electric or any other fuel which does not create smoke hazard for flight operation is obligatory, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point

झ) यह प्रमाणपत्र इसके जारी होने की तारीख से 8 साल की अवधि के लिए वैध है। एक बार रिवेलीडेशन की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि इस तरह का अनुरोध एनओसी की समाप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर किया जाए और प्रारंभिक प्रमाणपत्र 8 साल की वैधता अवधि के भीतर प्राप्त किया जाए।

h. The certificate is valid for a period of 8 years from the date of its issue. One-time revalidation shall be allowed, provided that such request shall be made within six months from the date of expiry of the NOC and commencement certificate is obtained within initial validity period of 8 years.

ट) भवन के निर्माण के दौरान या उसके बाद किसी भी समय स्थल पर ऐसी कोई भी लाइट या लाइटों का संयोजन नहीं लगाया जाएगा जिसकी तीव्रता, आकृति या रंग के कारण वैमानिक ग्राउन्ड लाइटों के साथ भ्रम उत्पन्न हो। विमान के सुरक्षित प्रचालन को प्रभावित करने वाली कोई भी गतिविधि मान्य नहीं होगी।

i. No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time, during or after the construction of the building. No activity shall be allowed which may affect the safe operations of flights.

ठ) आवेदक द्वारा विमानपत्तन पर या उसके आसपास विमान से उत्पन्न शोर, कंपन या विमान प्रचालन से हुई किसी भी क्षति के विरुद्ध कोई शिकायत/दावा नहीं किया जाएगा।

j. The applicant will not complain/claim compensation against aircraft noise, vibrations, damages etc. caused by aircraft operations at or in the vicinity of the airport.

ड) डे मार्किंग तथा सहायक विद्युत आपूर्ति सहित नाइट लाइटिंग (डीजीसीए भारत की वेबसाइट www.dgca.nic.in पर उपलब्ध) नागर विमानन आवश्यकताएं श्रृंखला 'बी' पार्ट I सेक्शन-4 के चैप्टर 6 तथा अनुलग्नक 6 में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएंगी।

k. Day markings & night lighting with secondary power supply shall be provided as per the guidelines specified in chapter 6 and appendix 6 of Civil Aviation Requirement Series 'B' Part I Section 4, available on DGCA India website: www.dgca.nic.in

ढ) भवन के नक्शे के अनुमोदन सहित अन्य सभी वैधानिक अनापत्ति, संबंधित प्राधिकरणों से लेना आवेदक की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इस ऊँचाई हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने का उद्देश्य सुरक्षित एवं नियमित विमान प्रचालन सुनिश्चित करना है तथा इसे भूमि के स्वामित्व आदि सहित किसी अन्य उद्देश्य/ दावे के लिए दस्तावेज के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता।

l. The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities including the approval of building plans. This NOC for height clearances is only to ensure safe and regular aircraft operations and shall not be used as document for any other purpose/claim whatsoever, including ownership of land etc.

ण) इस अनापत्ति प्रमाणपत्र आईडी का मूल्यांकन I.G.I Airport, Meerut, NIAJEWAR, Rohini Heliport, Safdarjung Airport, Sikandrabad विमानक्षेत्रों के संबंध में किया गया है। यह अनापत्ति प्रमाणपत्र भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के विमानक्षेत्रों और अन्य लाइसेंस प्राप्त सिविल विमानक्षेत्रों, जो जी. एस. आर. 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के अनुसूची - III, अनुसूची - IV (भाग- I), अनुसूची- IV (भाग -2; केवल RCS हवाई अड्डे) और अनुसूची- VII में सूचीबद्ध हैं, के लिए जारी किया गया है।

m. This NOC ID has been assessed with respect to the I.G.I Airport, Meerut, NIAJEWAR, Rohini Heliport, Safdarjung Airport, Sikandrabad Airports. NOC has been issued w.r.t. the AAI Aerodromes and other licensed Civil Aerodromes as listed in Schedule - III, Schedule - IV (Part-I), Schedule- IV (Part-2; RCS Airports Only) and Schedule-VII of GSR 751(E) amended by GSR770(E)



क्षेत्रीय मुख्यालय उत्तरी क्षेत्र, परिचालन कार्यालय परिसर रंगपुरी, नई दिल्ली - 110037 दूरभाष संख्या - 91-11-25653566
Regional headquarter Northern Region, Operational Offices Complex Rangpuri, New Delhi-110 037 Tel: 91-11-25653566

" हिंदी पत्रों का स्वागत है। "



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

SAFD/NORTH/B/021423/741653

त) यदि स्थल रक्षा विभाग के विमान क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, जैसा कि जीएसआर 751 (ई) की अनुसूची-V में सूचीबद्ध है, तो आवेदक को रक्षा विभाग से अलग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होता है। जीएसआर 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के नियम 13 के अनुसार, आवेदकों को उन स्थलों के लिये, जो जीएसआर 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के अनुसूची-IV (भाग -2; आरसीएस हवाई अड्डों के अलावा) के रूप में सूचीबद्ध बिना लाइसेंस वाले विमान क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो संबंधित राज्य सरकार से भी अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता है।

n. Applicant needs to seek separate NOC from Defence, if the site lies within the jurisdiction of Defence Aerodromes as listed in Schedule – V of GSR 751 E amended by GSR770(E). As per rule 13 of GSR 751 E amended by GSR770(E), applicants also need to seek NOC from the concerned state government for sites which lies in the jurisdiction of unlicensed aerodromes as listed in Schedule-IV (Part-2; other than RCS airports) of GSR 751 E amended by GSR770(E)

ध) अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की किसी भी त्रुटि/व्याख्या की स्थिति में अंगरेजी अनुवाद ही मान्य होगा।

o. In case of any discrepancy/interpretation of NOC letter, English version shall be valid.

द) स्थल की ऊँचाई और/या संरचना की ऊँचाई के किसी भी विवाद में अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई एएमएसएल में ही मान्य होगी।

p. In case of any dispute with respect to site elevation and/or AGL height, Permissible Top Elevation in AMSL shall prevail.



क्षेत्रीय मुख्यालय उत्तरी क्षेत्र, परिचालन कार्यालय परिसर रंगपुरी, नई दिल्ली - 110037 दूरभाष संख्या - 91-11-25653566

Regional headquarter Northern Region, Operational Offices Complex Rangpuri, New Delhi-110 037 Tel: 91-11-25653566

" हिंदी पत्रों का स्वागत है ।"



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

SAFD/NORTH/B/021423/741653

क्षेत्र का नाम / Region Name:

उत्तर/NORTH

पदनामित अधिकारी/Designated Officer	धीरज कुमार/Dheeraj Kumar उप महाप्रबंधक (ए टी एम) / DGM (A.T.M.) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, SAFD/NORTH/B/021423/741653 प्रकार: बायोमेट्रिक प्रमाणित (उप-भू) / Biometric Certified (Sub-Geo) पुस्तक संख्या: नई दिल्ली 31/03/2023
नाम/ पदनाम/दिनांक सहित हस्ताक्षर Name/Designation/Sign with date	
द्वारा तैयार Prepared by	अक्षित 01/03/2023 Narenchra Dev A.T.M. (A.T.M.)
द्वारा जांचा गया Verified by	

ईमेल आईडी / EMAIL ID : noc_nr@aai.aero
फोन/ Ph: 011-25653551

ANNEXURE/अनुलग्नक

Distance From Nearest Airport And Bearing/निकटतम विमानक्षेत्र से दूरी और बीयरिंग

Airport Name/ विमानक्षेत्र का नाम	Distance (Meters) from Nearest ARP/निकटतम विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से दूरी (मीटर में)	Bearing(Degree) from Nearest ARP/निकटतम विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से बीयरिंग (डिग्री)
I.G.I Airport	28328.28	89.56
Meerut	45788.67	214.03
NIAJEWAR	47505.2	334.48
Rohini Heliport	39271.84	120.19
Safdarjung Airport	19151.39	94.3
Sikandrabad	35197.46	301.72
NOCID	SAFD/NORTH/B/021423/741653	



क्षेत्रीय मुख्यालय उत्तरी क्षेत्र, परिचालन कार्यालय परिसर रंगपुरी, नई दिल्ली - 110037 दूरभाष संख्या - 91-11-25653566
Regional headquarter Northern Region, Operational Offices Complex Rangpuri, New Delhi-110 037 Tel: 91-11-25653566

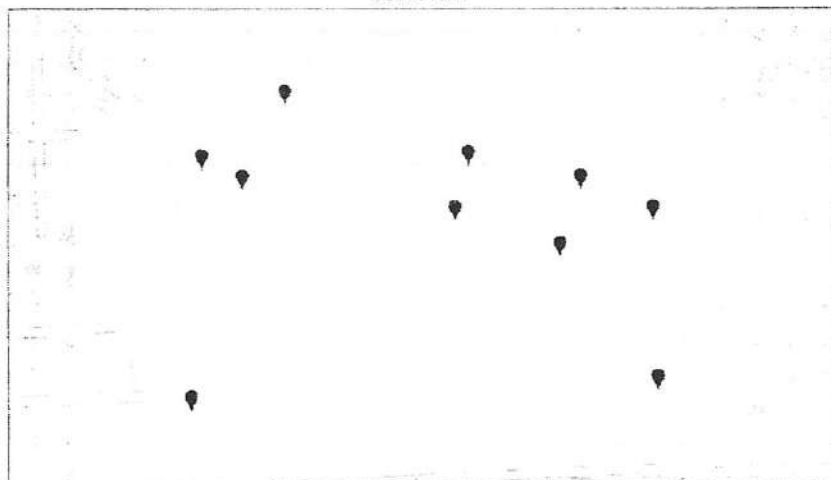
"हिंदी पत्रों का स्वागत है।"



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

SAFD/NORTH/B/021423/741653

Street View



February 14, 2023

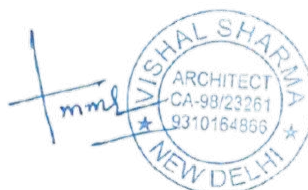
1:2,500
0 0.04 0.08 0.12 km
0 0.04 0.08 0.12 mi
Scale: 1:2,500 (1 inch = 250 feet)
Map data © 2023 Google, Imagery © 2023 Google

Satellite View



February 14, 2023

1:2,500
0 0.04 0.08 0.12 km
0 0.04 0.08 0.12 mi
Scale: 1:2,500 (1 inch = 250 feet)
Map data © 2023 Google, Imagery © 2023 Google



क्षेत्रीय मुख्यालय उत्तरी क्षेत्र, परिचालन कार्यालय परिसर रंगपुरी, नई दिल्ली - 110037 दूरभाष संख्या - 91-11-25653566
Regional headquarter Northern Region, Operational Offices Complex Rangpuri, New Delhi-110 037 Tel: 91-11-25653566

" हिंदी पत्रों का स्वागत है "



List of Proposals

Download

To view details click on Proposal Number

Sr. No.	Single Window Number	Clearance Details	Project Name	User Agency	Issuing Authority	Other Details	Proposal Status
1	SW/128575/2023	Clearance Type: Form-1 (Part-A): Information for Scoping (for Category - A/B1) / Appraisal for Category - B2 (including Building & Construction projects under 8 (a)) CAF No. : CAF/125679/2023 Proposal No. : SIA/UP/INFRA2/428637/2023	Group Housing Building at Plot No.- GH-01, Sector-II5, Noida, Uttar Pradesh	AMBIENCE PRIVATE LIMITED	SEIAA	Category: B1 Sector: INFRA-2 Date of Submission: 09/05/2023	Under Examination